



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252691
CG-DL-E-07032024-252691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]
No. 141]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

न्यासी बोर्ड, कोयला खान भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

सं. सीएमपीएफओ-11.0011.0/126/2023-कार्मिक.—कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3 सी की उपधारा (5) के अनुपालन में तथा पिछले सभी अधिसूचित भर्ती नियमावली का अधिक्रमण करते हुए, न्यासी बोर्ड, कोयला खान भविष्य निधि संगठन केंद्र सरकार की अनुमति से, कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पदों पर भर्ती की विधि के विनियमन हेतु, एतद द्वारा निम्नलिखित नियमावली जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारी भर्ती) नियमावली, 2024 होगा, बनाती हैं।

बशर्ते कि इस तरह के अधिक्रमण से कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारी भर्ती) नियम, 2024 के लागू होने से पहले की गई किसी भी बात, जारी किए गए किसी भी आदेश, की गई किसी भी कार्रवाई या प्रयोग की गई किसी भी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन नियमों के शुरू होने से पहले दी गई सभी मंजूरी, आदेश, घोषणा या अन्य कार्रवाई इन नियमों के शुरू होने के बाद भी लागू रहेगी, जब तक कि विशेष रूप से उस प्राधिकारी द्वारा जिसने इस तरह की मंजूरी दी थी या ऐसे आदेश जारी किए थे या ऐसा कार्य किया था, रद्द या निरस्त नहीं किया जाता है।

बशर्ते यह भी कि सभी मौजूदा कर्मचारी अगले आदेशों तक मौजूदा वेतन और भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों के तहत 'जैसा है जहां है' के आधार पर कार्य करना जारी रखेंगे और यह भी कि पहले से अधिसूचित किसी भी भर्ती नियमावली से उत्पन्न होने वाले लाभों को उठाने का कोई पिछला मामला अधिक भुगतान की वसूली के लिए फिर से नहीं खोला जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ: -

(1) यह नियमावली कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारी भर्ती) नियम, 2024 कहलाएगी।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. आवेदन : -

यह नियमावली इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होगी।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल: -

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन लेवल उक्त अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हता: -

(1) भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट होंगे।

(2) सरकारी सेवक/ सीएमपीएफओ कर्मचारियों के लिए समूह 'क' व 'ख' के पदों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की और समूह 'ग' के पदों के लिए 40 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी। ये सभी कर्मचारी सीएमपीएफओ में सेवा के बराबर आयु छूट के लिए पात्र होंगे, बशर्ते ऐसी सेवा उस पद के कर्तव्यों से संबंधित क्षेत्र में हो, जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(3) आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

(4) इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित पदों की भर्ती कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3 क की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन भर्ती करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

5. अयोग्यता: -

कोई भी व्यक्ति: -

(1) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिसकी पहले से पति या पत्नी हो अथवा

(2) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्षकार को विवाह के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. सीधी भर्ती के साथ-साथ एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नत होने वालों के लिए अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण: - सीधी भर्तियों के सभी मामलों में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा। परिवीक्षा की पूर्णता के लिए प्रशिक्षण का सफल समापन पूर्व-आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम रहेगा। एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नत होने वाले सभी मामलों के लिए भी कम से कम दो सप्ताह की अवधि का समान अनिवार्य प्रशिक्षण होगा।

7. वरिष्ठों पर विचार: - जहां कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक/ पात्र सेवा पूर्ण की हो, को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके वो वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने पूर्व-आवश्यक अर्हक/ पात्र सेवा में अर्हक/ पात्र सेवा के आधे से कम या दो वर्ष जो भी कम हो, और पदोन्नति के लिए अगले उच्चतम ग्रेड के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की हो।

8. विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति का गठन:- इन नियमों के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, वे पद जिनकी भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जानी हैं, उसकी विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति का गठन उनके द्वारा किया जायेगा और शेष पदों के लिए कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो किसी भी अतिरिक्त सदस्य को अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किया जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो किसी भी अतिरिक्त सदस्य को अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किया जा सकता है

9. जहां इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं या अपर्याप्त प्रावधान हैं, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंधित श्रेणी के लिए जारी नियम या अनुदेश यथा संशोधित, आवश्यक परिवर्तनों सहित कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर लागू होने जैसे वो इन नियमों में समाविष्ट हैं।

10. प्रारम्भिक गठन: - किसी पद को हटाने/उत्थान/नाम बदलने के कारण, ऐसे पदों पर आरूढ़ अधिकारियों की सेवा अनुमोदित संवर्ग समीक्षा में निर्दिष्ट सेवा भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी होने से पहले ऐसे अधिकारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना करने के लिए की शामिल करने की आवश्यकता है।

11. इन नियमों के तहत पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली सेवा की अवधि को रिक्ति वर्ष के 1 जनवरी को फीडर ग्रेड में नियमित सेवा के वर्ष पूरे किए जाएंगे यदि रिक्ति 1 जनवरी से 30 जून (दोनों तिथि समाविष्ट) और 1 जुलाई से 31 दिसंबर (दोनों तिथि समाविष्ट) के बीच होती है।

11.1 रिक्ति वर्ष कैलेंडर वर्ष आधारित होगा तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी।

12. मौजूदा पात्रता सेवा का प्रतिधारण: - जब भी पात्रता सेवा को ऊपर की ओर संशोधित किया जाता है, तो यह इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के अनुसार नियमित आधार पर फीडर पद रखने वाले व्यक्तियों के लिए समान बना रहेगा।

13. शिथिल करने की शक्तियां: - जहां नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय में आवश्यक हो या समीचीन हो, तो वो आदेश द्वारा तथा उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकता है।

14. संरक्षण: - इन नियमों की कोई भी बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और प्रदान की जाने वाली आवश्यक अन्य रियायत को प्रभावित नहीं करेगी।

विजय कुमार मिश्र, आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन

[विज्ञापन-III/4/असा./807/2023-24]

अनुसूची

सीएमपीएफओ में अपर आयुक्त के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अपर आयुक्त
2.	पदों की संख्या	03* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-13
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन

6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामलों में भी लागू होंगे।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि- सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा अथवा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ अंतरण के मामलों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ अंतरण के ग्रेड जिससे किया जाना है	<p>पदोन्नति क्षेत्रीय आयुक्त-I वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी:</p> <p>i) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 में पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग/ विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले।</p> <p>नोट: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में हैं तो उसका संयोजन क्या होगा?	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर सचिव - अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव - सदस्य</p> <p>3. आयुक्त, सीएमपीएफओ - सदस्य</p>
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में क्षेत्रीय आयुक्त-I के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	क्षेत्रीय आयुक्त-I
2.	पदों की संख्या	19* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-12 नोट: 4 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत तीन पदों के लिए लेवल-13 में एनएफएसजी।

5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामलों में भी लागू होंगे।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा अथवा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ अंतरण के मामलों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ अंतरण के ग्रेड जिससे किया जाना हैं	<p>पदोन्नति क्षेत्रीय आयुक्त-II वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी:</p> <p>i) मूल संवर्ग/ विभाग नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 में पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग/ विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले।</p> <p>नोट: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में हैं तो उसका संयोजन क्या होगा	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर सचिव - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव - सदस्य 3. आयुक्त (सीएमपीएफओ) - सदस्य</p>
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में वित्त सलाहकार के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	वित्त सलाहकार
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-13
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामलों में भी लागू होंगे।	लागू नहीं
9.	परिबीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा अथवा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के मामलों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के ग्रेड जिससे किया जाना है	<p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी:</p> <p>क) i) मूल संवर्ग/ विभाग नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 में पद धारण करने वाले; अथवा ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग/ विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले। ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले: आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए, आईसीडब्लूए, सीएफए, एमबीए (वित्त) या समकक्ष योग्यता। वांछनीय केंद्र सरकार/ केंद्रीय स्वायत्त निकाय के वैसे अधिकारी जो वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखते हों। नोट: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसका संयोजन क्या होगा	लागू नहीं
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में वरिष्ठ वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	वरिष्ठ वित्त अधिकारी
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-11
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामलों में भी लागू होंगे।	लागू नहीं
9.	परिबीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा अथवा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	(क) 50% पदोन्नति द्वारा विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं) (ख) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के मामलों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के ग्रेड जिससे किया जाना है	पदोन्नति – पे-मैट्रिक्स के लेवल-10 में वित्त अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी: क) i) मूल संवर्ग/ विभाग नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में पद धारण करने वाले; अथवा ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग/ विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले। ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले: आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएफए, एमबीए (वित्त) या समकक्ष वांछनीय: वित्त एवं लेखा में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले केंद्र सरकार/ स्वायत्त निकाय इत्यादि के अधिकारी। नोट: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसका संयोजन क्या होगा	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव - सदस्य 3. आयुक्त (सीएमपीएफओ) - सदस्य
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में क्षेत्रीय आयुक्त-II के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	क्षेत्रीय आयुक्त-II
2.	पदों की संख्या	28* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-11
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामलों में भी लागू होंगे।	लागू नहीं
9.	परिबीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा अथवा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के मामलों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के ग्रेड जिससे किया जाना हैं	<p>पदोन्नति सहायक आयुक्त वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी:</p> <p>i) मूल संवर्ग/ विभाग नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग/ विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले।</p> <p>नोट: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में हैं तो उसका संयोजन क्या होगा	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक/ उप सचिव - सदस्य</p> <p>3. आयुक्त, सीएमपीएफओ - सदस्य</p>
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	वित्त अधिकारी
2.	पदों की संख्या	04* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-10
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामलों में भी लागू होंगे।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	2 वर्ष
10.	भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा अथवा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	(क) 50% विभागीय परीक्षा के द्वारा (ख) 50% प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के मामलों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/अंतरण के ग्रेड जिससे किया जाना है	<p>विभागीय परीक्षा सीएमपीएफओ के अधिकारियों में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए, आईसीडब्लूए, सीएफए, एमबीए (वित्त) या समकक्ष योग्यता प्राप्त किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा और वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में 10 वर्ष अथवा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में 5 वर्ष अथवा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में 4 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आइएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी:</p> <p>क) i) मूल संवर्ग/ विभाग नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 में पद धारण करने वाले; अथवा ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग/ विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले। ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले:</p> <p>आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए, आईसीडब्लूए, सीएफए, एमबीए (वित्त)</p> <p>वांछनीय वित्त एवं लेखा में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले केंद्र सरकार/ स्वायत्त निकाय के अधिकारी।</p> <p>नोट: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में हैं तो उसका संयोजन क्या होगा	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1. आयुक्त, सीएमपीएफओ - अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त - सदस्य 3. क्षे.आ.-I (एसजी)/ क्षे.आ.-I/ क्षे.आ.-II (प्रशा.) - सदस्य
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में सहायक आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	सहायक आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी)
2	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल-10
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु उम्र की अधिकतम सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती हेतु विहित उम्र एवं शैक्षणिक अर्हता के मापदंड प्रोन्नति के मामलों में लागू होंगे	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण की प्रक्रिया तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने की प्रतिशतता	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं)
11	पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के मामले में वैसी श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण की जानी है	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार /संघ शासकीय क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरणों/ स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन के वैसे अधिकारी जिन्होंने अ) 1) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 10 में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले अथवा 2) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 8 में नियुक्ति के पश्चात चार वर्षों की नियमित सेवा प्रदान करने वाले आ) जो निम्नलिखित शैक्षणिक व अनुभव की अर्हता रखते हों आवश्यक अर्हता मुख्य विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार प्रौद्योगिकी में स्नातक वांछनीय क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान अथवा समतुल्य में स्नातकोत्तर ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 वर्ष या अधिक कार्य करने का अनुभव ग) सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार अथवा परियोजना प्रबंधक जो

		प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं पर केन्द्रित करते हैं नोट 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व इस संगठन अथवा किसी अन्य संगठन में समतुल्य संवर्ग पर पदस्थापना की अवधि भी सम्मिलित है सामान्यतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी नोट 2 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाती है तो उसकी संयोजन क्या होगी	लागू नहीं
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफ़ओ में सहायक आयुक्त के पद की नियुक्ति नियमावली

1	पद का नाम	सहायक आयुक्त
2	पदों की संख्या	35* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह "क"
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 10
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन पद
6	सीधी भर्ती हेतु उम्र की अधिकतम सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं
7	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएँ	आवश्यक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता वांछनीय श्रम क़ानूनों तथा वित्त, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप तथा भविष्य निधि व बीमा संबंधी मामलों के क्षेत्र में अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती हेतु विहित उम्र एवं शैक्षणिक अर्हता के मापदंड प्रोन्नति के मामलों में लागू होंगे	नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन की प्रक्रिया तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने की प्रतिशतता	(क) जब तक कोयला खान भविष्य निधि व विविध प्रकीर्ण अधिनियम, 1948 में संशोधन नहीं की जाती है तब तक 50% संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा की सूचीवद्ध श्रेणी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा (ख) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)
11	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के मामले में वैसी श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण की जानी है	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा प्रदान करने वाले प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार /संघ शासकीय क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरणों/ स्वायत्त अथवा

		<p>सांविधिक संगठन के वैसे अधिकारी जिन्होंने</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 10 में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले अथवा 2) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 8 में नियुक्ति के पश्चात चार वर्षों की नियमित सेवा प्रदान करने वाले <p>नोट 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व इस संगठन अथवा किसी अन्य संगठन में समतुल्य संवर्ग पर पदस्थापना की अवधि भी सम्मिलित है सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी</p> <p>नोट 2 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाती है तो उसकी संरचना क्या होगी	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, सीएमपीएफओ - अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त - सदस्य 3. क्षे.आ.-I (एस.जी.)/ क्षे.आ.-I/ क्षे.आ.-II (प्रशा.) - सदस्य
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन में सहायक अभियंता (सिविल) के पद की नियुक्ति नियमावली

1	पद का नाम	सहायक अभियंता (सिविल)
2	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह "क "
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 10
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु उम्र की अधिकतम सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती हेतु विहित उम्र एवं शैक्षणिक अर्हता के मापदंड प्रोन्नति के मामलों में लागू होंगे	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन की प्रक्रिया तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने की प्रतिशतता	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध शामिल है)
11	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के मामले में वैसे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण की जानी है	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)</p> <p>केंद्र सरकार/ राज्य सरकार /संघ शासकीय क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरणों/ स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन के वैसे अधिकारी जिन्होंने</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <ol style="list-style-type: none"> क) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 10 में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले अथवा ख) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 8 में नियुक्ति के पश्चात चार वर्षों की नियमित सेवा प्रदान करने वाले 2) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल प्रौद्योगिकी में

		<p>स्नातक की उपाधि रखते हों</p> <p>नोट 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व इस संगठन अथवा किसी अन्य संगठन में समतुल्य संवर्ग पर पदस्थापना की अवधि भी सम्मिलित है सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी</p> <p>नोट 2 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नती समिति गठित की जाती है तो उसकी संरचना क्या होगी	लागू नहीं
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन में सहायक निदेशक (हिंदी) के पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	सहायक निदेशक (हिंदी)
2	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल -10
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा योग्यता लागू होगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	2 वर्ष
10	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	100% पदोन्नति द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
11	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण, ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	<p>पदोन्नति</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ हिंदी अनुवादक।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त या वैधानिक संगठन के तहत अधिकारी:</p> <p>1.</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में पद धारण ; या</p> <p>ख) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में पदों पर चार साल की नियमित सेवा के साथ; या</p>

	<p>मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में पदों में नियमित सेवा के 5 वर्ष; तथा</p> <p>2. निम्नलिखित योग्यता रखने वाले :-</p> <p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री; (या)</p> <p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी माध्यम और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; (और)</p> <p>हिंदी माध्यम और अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री जिसमें एक विकल्प के रूप में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी है; अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में (और)</p> <p>भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत दो साल का अनुभव।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शामिल किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में सेवा की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--

12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1. आयुक्त, सीएमपीएफओ - अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त - सदस्य 3. क्षेत्र.आ.-I (एसजी)/ क्षेत्र.आ.-I/ क्षेत्र.आ.-II (प्रशा.) - सदस्य
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में निजी सचिव के पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	निजी सचिव
2	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल - 8 नोट: 4 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत लेवल-10 में एनएफएसजी।
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा योग्यता लागू होगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	100% पदोन्नति द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा(अल्पकालिक अनुबंध सहित)
11	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण, ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	पदोन्नति के लिए लेवल-7 में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ आशुलिपिक श्रेणी- I प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त या वैधानिक संगठन के तहत अधिकारी: क) 1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में पद धारण, या 2) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में पदों पर 2 साल की नियमित सेवा के साथ. ख) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले; 12वीं कक्षा / इन्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा पास और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।

		<p>वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शामिल किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में सेवा की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर आयुक्त - अध्यक्ष</p> <p>2. क्षे.आ. (एस.जी.)/क्षे.आ.-I - सदस्य</p> <p>3. क्षे.आ.-I / क्षे.आ.-II (प्रशा.) - सदस्य</p>
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में प्रवर्तन अधिकारी /लेखा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	<u>प्रवर्तन अधिकारी /लेखा अधिकारी</u>
2	पदों की संख्या	प्रवर्तन अधिकारी - 60* (2023) लेखा अधिकारी - 40* (2023) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 8
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	आवश्यक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष
8	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा योग्यता लागू होगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	(क) 75% पदोन्नति द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) (ख) 25% विभागीय परीक्षा द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा।
11	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण, ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में 2 साल की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारी, विफल होने पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 एवं लेवल-6 में संयुक्त रूप से 6 वर्षों की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारी। विभागीय परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की

		<p>डिग्री या समकक्ष की योग्यता रखने वाले सीएमपीएफओ अधिकारियों में से विभागीय परीक्षा सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित की जानी है और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में 2 साल की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में 6 साल की नियमित सेवा होनी चाहिए।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त या वैधानिक संगठन के तहत अधिकारी:</p> <p>1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में पद धारण करना, या</p> <p>2) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में पदों पर 2 साल की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शामिल किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में सेवा की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर आयुक्त - अध्यक्ष 2. क्षे.आ. (एस.जी.) - सदस्य 3. क्षे.आ.-I / स.आ. (प्रशा.) - सदस्य</p>
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1	पदनाम	अनुभाग अधिकारी
2	पदों की संख्या	अनुभाग अधिकारी – 170* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख' गैर-मंत्रालीय
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 7
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा योग्यता लागू होगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा या	(क) 75% पदोन्नति द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

	प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	ख) 25% विभागीय परीक्षा द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।(अल्पकालिक अनुबंध सहित)
11	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण, ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	<p>पदोन्नति: पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में 5 साल की नियमित सेवा के साथ भ.नि.निरीक्षक/व.सा.सु.सहायक।</p> <p>विभागीय परीक्षा: 5 साल की नियमित सेवा वाले वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में भ.नि.निरीक्षक /व.सा.सु.सहायक के बीच सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित की जानी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त या वैधानिक संगठन के तहत अधिकारी:</p> <p>1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में पद धारण करना, या</p> <p>2) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 में पदों पर 5 साल की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शामिल किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में सेवा की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर आयुक्त - अध्यक्ष</p> <p>2. क्षे.आ.-I(एस.जी.)/ क्षे.आ.-I - सदस्य</p> <p>3. क्षे.आ.-I / क्षे.आ.-II (प्रशा.) - सदस्य</p>
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए भर्ती नियम

1	. पदनाम	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
2	पदों की संख्या	05* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 7
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	गैर- चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा योग्यता लागू होगी?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं

10	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	100% पदोन्नति द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
11	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण, ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	<p>पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त या वैधानिक संगठन के तहत अधिकारी:</p> <p>1.</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में पद धारण करना, या</p> <p>ख) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 में पदों पर 5 साल की नियमित सेवा के साथ. और</p> <p>2. निम्नलिखित योग्यता रखने वाले;</p> <p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री; (या)</p> <p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी माध्यम और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; (और)</p> <p>हिंदी माध्यम और अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री जिसमें एक विकल्प के रूप में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी है; अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में (और)</p>

		<p>भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत दो साल का अनुभव।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शामिल किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में सेवा की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1. अपर आयुक्त - अध्यक्ष</p> <p>2. क्षे.आ.-I(एस.जी.)/ क्षे.आ.-I - सदस्य</p> <p>3. क्षे.आ.-I / क्षे.आ.-II (प्रशा.) - सदस्य</p>
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
2	पद की संख्या	10* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 6
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	<p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री; (या)</p> <p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी माध्यम और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; (या)</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें हिंदी</p>

		<p>माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; (और)</p> <p>हिंदी माध्यम और अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री जिसमें एक विकल्प के रूप में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी है; अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में (और)</p> <p>भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत दो साल का अनुभव।</p>
8	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो, पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	कर्मचारी चयन आयोग अथवा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी विशेष एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध सूची से 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है	<p>प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ पी एस यू /स्वायत्त संस्थान के अधीन अधिकारी</p> <p>i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 6 में पद धारण करना या</p> <p>ii) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर लेवल- 4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ नियुक्ति की जाती है</p> <p>नोट 1 : - प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी भी अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति अवधि को लेकर केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले आमतौर पर 3 साल से अधिक कोई भी कैडर पद धारण नहीं किया जाएगा</p> <p>नोट 2 : - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है ?	लागू नहीं
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफ़ओ मे आशुलिपिक श्रेणी-I पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	आशुलिपिक श्रेणी- I
2	पद की संख्या	09* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 7
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	गैर चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	पदोन्नति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है	<p>पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स लेवल- 6 में आशुलिपिक श्रेणी -II में 5 वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार / केंद्र शासित क्षेत्र / विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त या वैधानिक संगठन के अधीन अधिकारी</p> <p>1) क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतनमान लेवल-7 में पद धारण करना ; या ख) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतनमान लेवल- 6 के पदों पर नियुक्ति के बाद पाँच साल की नियमित सेवा के साथ और</p> <p>2) निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए</p> <p>आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वी कक्षा / इंटरमिडियट या समकक्ष उत्तीर्ण और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p> <p>नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले आयोजित किसी अन्य पूर्व कैडर पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है ?	<p>विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>1 अपर आयुक्त - अध्यक्ष</p> <p>2 क्षे.आ.-I (एस जी)/ क्षे.आ.- I - सदस्य</p> <p>3 क्षे.आ.-I / क्षे.आ.-II (प्रशा) - सदस्य</p>

13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
----	--	---

सीएमपीएफ़ओ मे आशुलिपिक श्रेणी II के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	आशुलिपिक श्रेणी II
2	पद की संख्या	11* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 6
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	गैर चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	पदोन्नति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है	<p>पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स स्तर - 4 में आशुलिपिक श्रेणी - III में 10 वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र/ राज्य सरकार / केंद्र शासित क्षेत्र / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त या वैधानिक संगठन के अधीन अधिकारी</p> <p>1. क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतनमान लेवल- 6 में पद धारण करना ; या ख) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतनमान लेवल-4 के पदों पर नियुक्त के बाद 10 साल की नियमित सेवा के साथ और</p> <p>2. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए</p> <p>आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वी कक्षा / इंटरमिडियट या समकक्ष उत्तीर्ण और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p> <p>नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले आयोजित किसी अन्य पूर्व कैडर पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1 अपर आयुक्त - अध्यक्ष 2 क्षेत्र.आ.- I (एस जी) / क्षेत्र.आ.- I - सदस्य 3 क्षेत्र.आ.- I / क्षेत्र.आ.- II (प्रशा) - सदस्य
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफ़ओ में वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक
2	पद की संख्या	138* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 6
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	गैर चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	पदोन्नति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा,
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है	पदोन्नति सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर 10 वर्ष नियमित सेवा।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1 अपर आयुक्त - अध्यक्ष 2 क्षेत्र.आ.- I (एस जी) / क्षेत्र.आ.- I - सदस्य 3 क्षेत्र.आ.- I / क्षेत्र.आ.- II (प्रशा.) - सदस्य
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफ़ओ में आशुलिपिक श्रेणी III के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	आशुलिपिक श्रेणी III
2	पद की संख्या	11* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 4
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वी कक्षा / इंटरमिडियट या समकक्ष उत्तीर्ण

		और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
8	पदोन्नति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	कर्मचारी चयन आयोग की सूचीबद्ध सूची से 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है	लागू नहीं
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है ?	लागू नहीं
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफ़ओ में सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	सामाजिक सुरक्षा सहायक
2	पद की संख्या	322* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	लेवल- 4
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	गैर चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	आवश्यक क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट डेटा एंट्री कार्य के लिए प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी डिप्रेसन पर 10500 कुंजी डिप्रेसन प्रति घंटा (केडीपीएच) / 9000 केडीपीएच के अनुरूप है। अनुमत समय - दस मिनट वांछित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
8	पदोन्नति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : नहीं अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और	अ) 80 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग की सूचीबद्ध सूची से सीधी भर्ती द्वारा

	रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	ब) 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा,
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	पदोन्नति मल्टी टास्किंग स्टाफ, वेतनमान स्तर - 1 में 11 वर्ष की नियमित सेवा।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1 अपर आयुक्त - अध्यक्ष 2 क्षे.आ.- I (एस जी) / क्षे.आ.- I - सदस्य 3 क्षे.आ.- I / क्षे.आ.- II (प्रशा) - सदस्य
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सीएमपीएफओ में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2	पद की संख्या	60* (2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन का लेवल	लेवल - 1
5	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 25 वर्ष के बीच
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	10 वी कक्षा / मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण
8	पदोन्नति के मामले में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों से भरा जाएगा	100% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	लागू नहीं
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसकी संरचना क्या है?	लागू नहीं
13	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

BOARD OF TRUSTEES, COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2024

No. CMPFO-11.0011.0/126/2023-PERSONNEL.—In pursuance of sub-section (5) of section 3 C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) and in supersession of all previous Recruitment Rules (RRs) notified, the Board of Trustees, Coal Mines Provident Fund Organisation with the approval of Central Government, hereby makes the following Rules, for regulating the method of recruitment to the posts of Coal Mines Provident Fund Organisation, namely Coal Mines Provident Fund (Employees' Recruitment) Rules, 2024.

Provided that such supersession shall not affect anything done, any order issued, any action taken or any power exercised before coming into force of the Coal Mines Provident Fund (Employees' Recruitment) Rules, 2024 and all sanctions, orders, declarations or other action taken before the commencement of the Rules shall continue to be operative and in force, even after commencement of these Rules, unless specifically cancelled or revoked by the authority who accorded such sanctions or issued such orders or took such action.

Provided further that all the existing employees shall continue to function on as-is-where-is basis under the existing pay and allowances and other conditions of service until further orders and also that no past cases of availing benefits arising out of any RR notified previously shall be reopened for recovery of excess payment.

1. Short title and commencement: -

- (1) These Rules may be called the Coal Mines Provident Fund (Employees' Recruitment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. Application: -

These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level of pay in pay Matrix: -

The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:

- (1) The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule;
- (2) The age limit shall be relaxable for Government servant/ CMPFO employees up to 5 years in appointment to Group A and Group B posts and up to the age of 40 years in appointment in Group C posts. The employees of CMPFO will be eligible for further age relaxation equivalent to completed years of services in CMPFO, provided that such service is in a field relevant to duties of post for which the application is made.
- (3) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.
- (4) Recruitment to the posts mentioned in the Schedule annexed to these rules shall be made by authorities competent to make appointment under sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).

5. Disqualification: - No person-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Mandatory induction training for direct recruits as well as those being promoted from one Group to another Group: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration in all cases of direct recruitment. Successful completion of the training shall be a pre-requisite for completion of probation. The syllabus for training shall be as prescribed by Coal Mines Provident Fund Organisation from time to time. There shall be a similar mandatory training of at least two weeks duration in all cases of promotion from one Group to another Group.

7. **Consideration of seniors:** Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade.

8. **Constitution of Departmental Promotion/Selection Committee:** - Departmental Promotion Committee (s)/Selection Committees(S) shall be constituted by the Central Government for posts to which recruitment is made by them and by the Coal Mines Provident Fund Commissioner for the remaining posts, for purpose of these rules in accordance with Government instructions issued from time to time. Any additional member, if required, may be co-opted with the approval the Chair.

9. Where no provision or insufficient provision exists in these rules, the rules or instructions framed or issued by the Central Government from time to time on the subject for the corresponding category of Central Government servants shall *mutatis mutandis* apply to the employees of the Coal Mines Provident Fund Organisation as covered by these rules.

10. **Initial Constitution:** - Owing to abolition/upgradation/renaming of a post, the officials in such posts are required to be included in the service of the posts as specified in the approved Cadre Review so as to count the regular service rendered by such officials before the date of notification of the Recruitment Rules.

11. The period of service that will qualify for promotion under these Rules shall be completed years of regular service in the feeder grade as on 1st January of the vacancy year if the vacancy occurs between 1st January to 30th June (both dates inclusive) and 1st July of the vacancy year if the vacancy occurs between 1st July to 31st December (both dates inclusive).

11.1 The vacancy year shall be the Calendar years based, and the DPC is to be held as and when required.

12. **Retention of the existing eligibility service:** Whenever the eligibility service has been revised upwards, it shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis as on the date of notification of these Rules.

13. **Powers to relax:** - Where the Appointing Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

VIJAY KUMAR MISHRA, Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation

[ADV.T.-III/4/Exty./807/2023-24]

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ADDITIONAL COMMISSIONER IN CMPFO

1	Name of Post	Additional Commissioner
2.	Number of posts	03* (2023) * subject to variation depending on work load.
3	Classification	Group 'A'
4	Pay Level in Pay Matrix	Level-13
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by	100% by promotion failing which by deputation [including short term contract (ISTC)].

	deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Promotion RC-I with 5 years regular service in Level-12 in pay matrix.</p> <p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>i) holding posts in Level-13 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-12 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Secretary - Chairman</p> <p>2. Joint Secretary - Member</p> <p>3. Commissioner, CMPFO - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF REGIONAL COMMISSIONER-I IN CMPFO

1	Name of Post	Regional Commissioner-I
2.	Number of posts	19* (2023) * subject to variation depending on work load.
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-12 Note:- NFSG for 3 posts in Level-13 after 4 years of regular service
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by promotion failing which by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Promotion Regional Commissioner-II with five years regular service in Level 11 in pay matrix.</p>

		<p><u>Deputation (ISTC)</u></p> <p>Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>i) holding posts in Level-12 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-11 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Secretary - Chairman</p> <p>2. Joint Secretary - Member</p> <p>3. Commissioner, CMPFO - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FINANCIAL ADVISOR IN CMPFO

1	Name of Post	Financial Advisor
2.	Number of posts	01* (2023) * Subject to variation depending on work load.
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-13
5	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits/deputation/contract basis	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	100% by deputation (including short term contract)
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p><u>Deputation (ISTC)</u></p> <p>Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-13 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-12 in pay matrix rendered after</p>

		<p>appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following educational qualifications and experience: Essential CA, ICWA, CFA, MBA (Finance) or equivalent from recognised University. Desirable At least five years' experience in Finance and Accounts in Officers of Central, Government/ Central Autonomous Bodies.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR FINANCE OFFICER IN CMPFO

1	Name of Post	Senior Finance Officer
2.	Number of posts	02* (2023) * subject to variation depending on work load.
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-11
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits/deputation/contract basis	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	(a) 50% by promotion failing which by deputation (including short term contract). (b) 50% by deputation (including short term contract)
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Promotion Finance Officer with five years of regular service in Level 10 in pay matrix.</p> <p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-11 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-10 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent</p>

		<p>cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential CA, ICWA, CFA, MBA (Finance) or equivalent from recognised University.</p> <p>Desirable At least three years' experience in Finance and Accounts in Central Government/Autonomous Bodies.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Secretary/Joint Secretary - Chairman</p> <p>2. Director/Dy Secretary - Member</p> <p>3. Commissioner, CMPFO - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF REGIONAL COMMISSIONER-II IN CMPFO

1	Name of Post	Regional Commissioner-II
2	Number of posts	28* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-11
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by Promotion failing which by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Promotion Assistant Commissioner with 5 years of regular service in the Level-10 in pay Matrix</p> <p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>i) holding posts in Level-11 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-10 in pay matrix rendered after</p>

		<p>appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Secretary/Joint Secretary - Chairman</p> <p>2. Director/Dy Secretary - Member</p> <p>3. Commissioner, CMPFO - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FINANCE OFFICER IN CMPFO

1	Name of Post	Finance Officer
2.	Number of posts	04* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-10
5	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits/deputation/contract basis	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Two years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	<p>(a) 50% by Departmental Examination</p> <p>(b) 50% by deputation/absorption (including short term contract)</p>
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Departmental Examination To be conducted by Government agency from amongst CMPFO officials having qualification of CA, ICWA, CFA, MBA (Finance) or equivalent from recognised University and 10 years' regular service in Level-6 in Pay Matrix or 5 years' regular service in Level-7 in Pay Matrix or 4 years' regular service in Level-8 in Pay Matrix.</p> <p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-10 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-7 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p>

		<p>b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential CA, ICWA, CFA, MBA (Finance) or equivalent from recognised University.</p> <p>Desirable At least three years' experience in Finance and Accounts in Central Government/Autonomous Bodies.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	<p><u>Departmental Promotion Committee consisting of:</u> -</p> <p>1. Commissioner - Chairman</p> <p>2. Additional Commissioner - Member</p> <p>3 RC-I (SG)/RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT COMMISSIONER (IT) IN CMPFO

1	Name of Post	Assistant Commissioner (IT)
2.	Number of posts	01* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-10
5	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits/deputation/contract basis	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by deputation (including short term Contract)
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p><u>Deputation (ISTC)</u> Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-10 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with four years of regular service in posts in</p>

		<p>Level-8 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential Qualification: (a) Bachelor's Degree in Engineering with Computer Science or E&C as a major subject.</p> <p>Desirable (a) Master's Degree in Computer Science or equivalent from a recognized University. (b) Five or more years of IT work (c) IT consultants or project managers who focus on technology-related projects.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT COMMISSIONER IN CMPFO

1	Name of Post	Assistant Commissioner
2.	Number of posts	35* (2023) * subject to variation dependent on work load
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-10
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 30 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification: Bachelor's degree or equivalent in any discipline from a recognised University. Desirable: Experience in the field of labour laws and Finance, socio-economic activities, Provident Fund and Insurance matters etc.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
9	Period of probation	Two years.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	(a) 50% by direct recruitment from empanelled list of UPSC exam till CMPF & MP Act, 1948 is amended failing which by deputation/absorption. (b) 50% by promotion failing by deputation (ISTC).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	Promotion: Enforcement Officer/Accounts Officer in Level-8 in pay matrix with 4 years regular service in the grade.

		<p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>i) holding posts in Level-10 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with four years of regular service in posts in Level-8 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is not exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Commissioner - Chairman</p> <p>2. Additional Commissioner - Member</p> <p>3. RC-I (SG)/RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) IN CMPFO

1	Name of Post	Assistant Engineer (Civil)
2.	Number of posts	01* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-10
5	Whether selection post or non-selection post	Not applicable.
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits/deputation/contract basis	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-10 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with four years of regular service in posts in</p>

		<p>Level-8 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognised University.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (HINDI) IN CMPFO

1	Name of Post	Assistant Director (Hindi)
2.	Number of posts	01* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'A'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-10
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Two years.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by promotion failing which by deputation (including short term contract)
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p><u>Promotion</u> Senior Hindi Translator with five years regular service in Level 7 in pay matrix.</p> <p><u>Deputation (ISTC)</u> Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-10 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with four years of regular service in posts in Level-8 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; or</p> <p>iii) with five years of regular service in posts in Level-7 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p>

		<p>b) Possessing the following qualifications:</p> <p>Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level (and) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years" experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>						
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Commissioner</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- Chairman</td> </tr> <tr> <td>2. Additional Commissioner</td> <td style="text-align: right;">- Member</td> </tr> <tr> <td>3. RC-I (SG)/RC-I/RC-II (Adm)</td> <td style="text-align: right;">- Member</td> </tr> </table>	1. Commissioner	- Chairman	2. Additional Commissioner	- Member	3. RC-I (SG)/RC-I/RC-II (Adm)	- Member
1. Commissioner	- Chairman							
2. Additional Commissioner	- Member							
3. RC-I (SG)/RC-I/RC-II (Adm)	- Member							
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.						

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY IN CMPFO

1	Name of Post	Private Secretary
2.	Number of posts	01* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'B'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-8 Note :- NFSG in level-10 after 4 years of regular service.
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable

9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	100% by promotion failing which by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>For Promotion Steno Grade-I with 2 years regular service in Level-7.</p> <p>Deputation (ISTC) Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-8 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with 2 years of regular service in posts in Level-7 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following qualifications:</p> <p>12th class/ Intermediate or equivalent pass and should possess a speed of 80 words per minute in short hand and 40 words per minute in typewriting. Desirable: Graduate of a recognised University.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Commissioner - Chairman</p> <p>2. RC-I (SG)/RC-I - Member</p> <p>3. RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ENFORCEMENT OFFICER/ACCOUNTS OFFICER IN
CMPFO**

1	Name of Post	Enforcement Officer/Accounts Officer
2.	Number of posts	Enforcement Officer – 60*(2023) Accounts Officer – 40*(2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'B'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-8
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification: - Bachelor's degree or equivalent in any discipline from a recognised University.
9	Whether age and educational qualifications	Not applicable

	prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	
10	Period of probation	Not applicable.
11	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	(a) 75% by promotion failing which by deputation (including short term contract). (b) 25% by Departmental Examination failing which by deputation (including short term contract).
12	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p><u>Promotion:</u> Section Officers with 2 years' regular service in Level-7 in pay matrix failing which Section officers with 6 years combined regular service in Level-7 and Level-6 in pay matrix.</p> <p><u>Departmental Examination:</u> To be conducted by Government agency from amongst CMPFO officials having qualification of Bachelor's degree or equivalent in any discipline from a recognised University and 2 years' regular service in Level- 7 in Pay Matrix or 6 years' regular service in Level-6 in Pay Matrix</p> <p><u>Deputation (ISTC):</u> Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>i) holding posts in Level-8 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with two years of regular service in posts in Level-7 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
13	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p><u>Departmental Promotion Committee consisting of:</u> -</p> <p>1. Additional Commissioner - Chairman</p> <p>2. RC-I (SG) - Member</p> <p>3. RC-I/Assistant Commissioner (Adm) - Member</p>
14	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER IN CMPFO

1	Name of Post	Section Officer
2.	Number of posts	170* (2023) * subject to variation dependent on work load
3	Classification	Group 'B' Non-Ministerial
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-7
5	Whether selection post or non-selection post	Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications	Not applicable

	prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	
9	Period of probation	Not applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	(a) 75% by promotion failing which by deputation (including short term contract). (b) 25% by Departmental Examination failing which by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	Promotion: Provident Fund Inspector (PFI)/ Sr. SSA with 5 years of regular service in Level-6 in Pay Matrix. Departmental Examination: To be conducted by Government agency from amongst PFI/Sr. SSA in Level-6 in Pay Matrix having 5 years of regular service. Deputation (ISTC): Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations: i) holding posts in Level-7 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or ii) with five years of regular service in posts in Level-6 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department. Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Departmental Promotion Committee consisting of: - 1. Additional Commissioner - Chairman 2. RC-I (SG)/RC-I - Member 3. RC-I/RC-II (Adm) - Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR HINDI TRANSLATOR IN CMPFO

1	Name of Post	Senior Hindi Translator
2.	Number of posts	05* (2023) * subject to variation dependent on work load
3	Classification	Group 'B'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-7
5	Whether selection post or non-selection post	Non-selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of	100% by promotion failing which by deputation (including short term contract)

	vacancies to be filled by various methods	
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p>Promotion Junior Hindi Translator/Junior Translation Officer with five years regular service in Level 6 in pay matrix.</p> <p>Deputation (ISTC): Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-7 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-6 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following qualifications:</p> <p>Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level (and) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Commissioner - Chairman</p> <p>2. RC-I (SG)/RC-I - Member</p> <p>3. RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JUNIOR HINDI TRANSLATOR IN CMPFO

1.	Name of Post	:	Junior Hindi Translator
2.	Number of Post	:	10* (2023) * subject to variation dependent on work load
3.	Classification	:	Group 'B'
4.	Level of pay in Pay Matrix	:	Level-6
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Not applicable
6.	Age limit for direct recruitment	:	Not exceeding 30 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; (or) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level (and) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertaking.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees/deputations	:	Not applicable
9.	Period of Probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	100% by direct recruitment from empanelled list of Staff Selection Commission or any other specialized agency with approval of Central Government
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	:	<u>Deputation (ISTC)</u> Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations: i) holding posts in Level-6 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or ii) with ten years of regular service in posts in Level-4 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department. Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or

			department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.
12.	If DPC exists, what is its composition	:	Not applicable
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	:	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE-I IN CMPFO

1	Name of Post	Stenographer Grade-I
2.	Number of posts	09* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'B'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-7
5	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Not applicable.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by promotion failing which by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p><u>Promotion</u> Stenographers Grade-II in Level-6 in pay matrix with five years regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation (ISTC)</u> Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-7 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five years of regular service in posts in Level-6 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following qualifications:</p> <p><u>Essential qualification</u> 12th class/ Intermediate or equivalent pass from recognized board and should possess a speed of 80 words per minute in short hand and 40 words per minute in typewriting.</p> <p>Desirable: Graduate of a recognised University.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding</p>

		<p>this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Commissioner - Chairman</p> <p>2. RC-I (SG)/ RC-I - Member</p> <p>3. RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE-II IN CMPFO

1	Name of Post	Stenographer Grade-II
2.	Number of posts	11* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'B'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-6
5	Whether selection post or non-selection post	Non- selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Two years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by promotion failing which by deputation (including short term contract).
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<p><u>For Promotion</u> Stenographers Grade-III in Level-4 in pay matrix with ten years regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation (ISTC):</u> Officers under the Central/ State Government/ UTs/ Universities/ Recognised Research Institutions/ PSUs/ Autonomous or Statutory Organisations:</p> <p>a)</p> <p>i) holding posts in Level-6 in pay matrix on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with ten years of regular service in posts in Level-4 in pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/ department; and</p> <p>b) Possessing the following qualifications:</p> <p><u>Essential qualification</u> 12th class/ Intermediate or equivalent pass from recognized board and should possess a speed of 80 words per minute in short hand and 40 words per minute in typewriting.</p> <p>Desirable: Graduate of a recognised University</p>

		<p>Note 1: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation is 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p><u>Departmental Promotion Committee consisting of:</u> -</p> <p>1. Additional Commissioner - Chairman</p> <p>2. RC-I (SG) /RC-I - Member</p> <p>3. RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR SOCIAL SECURITY ASSISTANT IN CMPFO

1	Name of Post	Senior Social Security Assistant
2.	Number of posts	138* (2023) * subject to variation depending on work load
3	Classification	Group 'B'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-6
5	Whether selection post or non-selection post	Non-selection
6	Age limit for direct recruitment	Not applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation	Two years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by promotion.
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	<u>PROMOTION</u> Social Security Assistant with ten years regular service in the grade.
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p><u>Departmental Promotion Committee consisting of:</u> -</p> <p>1. Additional Commissioner - Chairman</p> <p>2. RC-I (SG) / RC-I - Member</p> <p>3. RC-I/RC-II (Adm) - Member</p>
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE-III IN CMPFO

1.	Name of Post	:	Stenographer Grade-III
2.	Number of Post	:	11* (2023) * subject to variation dependent on work load

3.	Classification	:	Group 'C'
4.	Level of pay in Pay Matrix	:	Level-4
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Not applicable
6.	Age limit for direct recruitment	:	Between 18 to 27 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Essential qualification 12 th class/ Intermediate or equivalent pass from recognized board and should possess a speed of 80 words per minute in short hand and 40 words per minute in typewriting. Desirable: Graduate of a recognised University.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	:	Not applicable.
9.	Period of Probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment of by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	100% by direct recruitment from empanelled list of Staff Selection Commission.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	:	Not applicable.
12.	If DPC exists, what is its composition	:	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	:	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SOCIAL SECURITY ASSISTANT IN CMPFO

1	Name of Post	Social Security Assistant
2.	Number of posts	322* (2023) * subject to variation dependent on work load
3	Classification	Group 'C'
4	Level of pay in Pay Matrix	Level-4
5	Whether selection post or non-selection post	Non-selection
6	Age limit for direct recruitment	Between 18 to 27 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential (a) Degree of a recognized University or equivalent. (b) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key Depression per Hour (KDPH) / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word for Data Entry Work. Time allowed – ten minutes. Desirable A Computer Training Certificate from a recognized Institution.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Age: No Educational qualifications: No Other qualifications: Yes
9	Period of probation	Two years for direct recruits
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	(a) 80% by direct recruitment from empanelled list of Staff Selection Commission. (b) 20% by promotion.
11	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which	Promotion MTS with 11 years of regular service in Level-1 in pay Matrix

	promotion, deputation/transfer to be made	
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<u>Departmental Promotion Committee consisting of:</u> - 1. Additional Commissioner - Chairman 2. RC-I (SG)/RC-I - Member 3. RC-I/RC-II (Adm) - Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF IN CMPFO

1.	Name of Post	:	Multi-Tasking Staff (MTS)
2.	Number of Post	:	60* (2023) * subject to variation dependent on work load
3.	Classification	:	Group 'C'
4.	Level of pay in Pay Matrix	:	Level-1
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Not applicable
6.	Age limit for direct recruitment	:	Between 18 and 25 years of age.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	10 th standard /Matriculation or equivalent pass.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	:	Not applicable.
9.	Period of Probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	100% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	:	Not applicable
12.	If DPC exists, what is its composition	:	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	:	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.